न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

दावा सं. 42/दावा/08

कायमी दिनांक 17.06.2008

पीठासीन अधिकारी – गरिमा लाटा
R.A.S.

उनवान

1. कमलेश दत्तक, पुत्र श्री किशना, आयु 45 वर्ष, जाति–चमार, निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

– वादी

बनाम

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

1. कल्याण पुत्र श्री किशना, निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
2. अम्बालाल पुत्र श्री किशना, निवासी रामनगर, हाल निवासी मोती नगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. प्रेमचन्द पुत्र श्री किशना निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
4. सन्तराज पुत्र श्री किशना, निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
5. शांति पुत्री श्री किशना पत्नि लड्डू निवासी पुमेदा, ग्राम फलोदी, जिला सवाईमाधोपुर
6. सुशीला पुत्री श्री किशना पत्नि श्री सीताराम, निवासी सेलन्दपुरा (मानपुरा) जिला सवाईमाधोपुर
7. द्रोपदी पुत्री श्री किशना पत्नि श्री कालूराम निवासी ग्राम सवाईगंज, जिला सवाईमाधोपुर
8. प्रभुलाल पुत्र श्री मोती निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
9. हीरनारायण पुत्र श्री मोती, निवासी रामनगर, हाल निवासी मोतीनगर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः.......

10. मोट्या बेटा श्री मोती, निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

11. माधो पुत्र श्री नारायण, जाति चमार, निवासी बांस गांव (वेलनगंज) हाल निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री त्रिलोकीनाथ, अभिभावक वादी।

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

निर्णय

दिनांक: 6.10.17

यह वाद अन्तर्गत राज. काश्त. अधिनियम खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया गया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में खसरा नं. कि.नं. 90 रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसके नये नम्बर 131, 132, 133, 160, 161, 162, 163 रकबा क्रमशः 0.43, 0.02, 0.35, 1.03, 0.44, 0.74, 0.51 कुल किता 7 कुल रकबा 3.52 हैक्टर है। उक्त खसरा नं. कि 90 मोती आत्मज लक्ष्मण, बिसना आत्मज नेनगा, माधो पुत्र नारायण को दिनांक 19.05.1957 को संयुक्त रूप से आवंटन किया गया था जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है प्रत्येक खातेदार अपने-अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं मोती व बिसना की मृत्यु हो चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः.....

Scanned with CamScanner

मोती के कायम मुकाम प्रतिवादी क्रमशः 8 लगायत 10 हैं व बिसना का कायम मुकाम वादी है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण 8 लगा 11 बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रतिवादी 1 लगा. 7 के पिता श्री किशना जी व वादी के दत्तक पिता श्री बिसना सगे भाई थे। बिसना के कोई सुलबी पुत्र नहीं था बिसना जी ने अपने जीवनकाल में जाति के रीति-रिवाज के अनुसार वादी को गोद ले लिया। बिसना जी की मृत्यु श्री किशना जी के जीवनकाल में ही हो गई थी। सहवन से राज्य कर्मचारियों ने खातेदार बिसना की जगह किशना दर्ज कर दिया। किशना की मृत्यु के बाद वादी ने अपने नाम नामांतकरण खुलवाने की चारा जोही करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी पर सहखातेदार बिसना की जगह किशना अंकित है, वादी ने अपने कब्जे काश्त की आराजी के सम्बन्ध में श्री किशना से राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कराने बाबत कहा तब उन्होंने वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर उप पंजीयक इन्द्रगढ़ के यहां पंजीयन करा दी। उक्त आराजी श्री बिसना जी कि स्वअर्जित सम्पत्ति थी जो श्री किशना जी की जानकारी में थी और इसी कारण उन्होंने श्री बिसना जी के सहखातेदारी की आराजी सहवन से राजस्व रिकार्ड में किशना जी के नाम दर्ज हुई आराजी की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिनांक 12.12.2000 को उपपंजीयक इन्द्रगढ़ के यहां पंजीयन करादी। वादी वाद वर्णित आराजी पर अपने हिस्से 1/3 पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। श्री किशना की मृत्यु पर प्रतिवादीगण 1 लगा. 7 ने राज्य कर्मचारियों से मिलकर नामान्तकरण सं. 51 दिनांक 2.10.2002 वादी व माता श्रीमती केसर बाई व [illegible] सहित अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

Scanned with CamScanner

सं. 1 लगायत 7 का किसी भी तरह का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7का अपने पक्ष में खुल-वाये गये नामान्तरकरण नं. 5। दिनांक 2.10.2002 सवर्था अवैधानिक व अनधिकृत है जो वादी के विरुद्ध प्रभाव शून्य है। वादी किशना जी की खातेदारी की समस्त आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है व किशना जी की आराजी पर खातेदार के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 नामान्तकरण सं. 51 दिनांक 2.10.2002 में अपना नाम दर्ज होने से ताकत के बल पर वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमदा है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 लगा 7 के विरुद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा

सत्यापित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

किया जावे कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर मदाखलत नहीं करे। वाद वर्णित आराजी का इतकाल नं. 5। दिनांक 2.10.2002 में प्रतिवादी 1 लगा 7 व केसर बाई बेवा किशना तथा रामनाथी पुत्री किशना के नाम डिलीट किये जाकर वादी को उक्त आराजी का सह खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमश.........

को जर्ये समन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 व 12 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी सं- 2, 4 व 8 द्वारा नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मे दखलनामा दिनांक 20.5.57 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2019 प्रदर्श-2, जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 प्रदर्श-4, जमाबंदी सम्वत 2060 से 2063 प्रदर्श 5, जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 प्रदर्श-6, नामा दिनांक [illegible].9.2002 प्रदर्श-7, नक्शा ट्रेस दिनांक 9.4.2008 प्रदर्श-8, क्षेत्रफल 8.4.2008 प्रदर्श 9, वसीयत नामा दिनांक 12.12.2000 प्रदर्श-10, गोदनामा प्रदर्श-11 तथा वादी स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। गवाहान प्रभु व घनश्याम के शपथ पत्र पेश किये गये।

हमारे द्वारा वादी के अभिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी के अभिवक्ता ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि वाद वर्णित आराजी 1957 मे मोती आत्मज लक्ष्मण, बिसना आत्मज नेनगा, माधो पुत्र नारायण को संयुक्त रूप से आवंटित हुयी थी जिसमे प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। बिसना के कोई पुत्र नही था। बिसना द्वारा वादी को गोद लिया गया। बिसना की मृत्यु हो चुकी है

क्रमशः...

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

के जीवनकाल में ही हो गयी थी। सहवन से राज्य कर्मचारियों ने खाते बिशना की जगह किशना दर्ज कर दिया। बिशना की स्वअर्जित सम्पति थी, जो कि सहवन से किशना के नाम दर्ज हुयी। किशना ने आराजी की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी जो 12.12.2000 को पंजीकृत हुयी। वादी विवादित आराजी पर अपने हिस्से 1/3 पर काबिज है। आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी 1 लगायत 7 के पक्ष में खुले नामान्तकरण नं. 51 दिनांक 2.10.2002 सर्वथा अवैधानिक व अनाधिकृत है। अभिभावक ने निवेदन किया कि उक्त नामा. 51. दिनांक 02.10.2000 से दर्ज हुए प्रतिवादी 1 लगायत 7, राधनाथी पुत्री किशना, केसर बाई बेवा किशना के नाम डिलीट किये जावे व वादी को उक्त आराजी का सहखातेदार कृषक घोषित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व प्रकरण पर ध्यानपूर्वक मनन किया। न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार से है-

दस्तावेजी साक्ष्य दखलनामा दिनांक 20.5.57, जमाबंदी सम्वत् 2015-2019, जमाबंदी सम्वत् 2019-2022, जमाबंदी सम्वत् 2035-2038 में मोती पुत्र लक्ष्मण, किशना पुत्र नेनगा व माधो चमार के नाम दर्ज है। मिलान सैटलमेंट सम्वत 2051-2060 से यह प्रमाणित है कि पूर्व खसरा नं. 90 मिन से वर्तमान खसरा नं. 131, 132, 133, 160, 161, 162, 163 कायम हुये है। जमाबंदी सम्वत् 2060-63 में बिशना की जगह किशना पुत्र नैनगा दर्ज है। किशना के इंतकाल पर जमैं नामान्तकरण 52 दिनांक 2.10.2002 से फौती नामान्तकरण दर्ज हुआ जो किशना के वारिसान के नाम दर्ज हुआ है। चूंकि दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि विवादित आराजी का आवंटन बिशना को हुआ तथा गलत/सहवन से बिशना के स्थान पर किशना

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दर्ज हुआ। गोदनामा दिनांक 23.12.1999 से साबित है कि बिशना द्वारा किशना के पुत्र कमलेश को गोद लिया गया। इस प्रकार वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को साबित करने में सफल हुआ है। हमें वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वर्णित आराजी Kख़सरा नं. 131/132/133/160/161/162/163 रकबा 0.43, 0.02, 0.35/1.03/0.44/0.74/0.51 कुल किता 7 कुल रकबा 3.52 है. ग्राम रामनगर के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 व केसर बाई बेवा किशना, रामनाथी पुत्री किशना के नाम विलोपित किया जावे व वादी कमलेश दत्तक पुत्र बिशना दर्ज किया जावे। प्रतिवादी 1 लगा 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर मदाखलत न करें। इसी आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यापित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

PD डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री शालिनी साटा R.A.S.

1. कमलेश दत्तक पुत्र किशना जाति चमार निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (वादी)

बनाम 1 कल्याण पुत्र किशना जाति चमार निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी वगैरह P.T.O प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,188 R.T.A. सन

मुकदमा नम्बर 42/दावा/08

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री त्रिलोकीनाथ एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, वाद बाबत आराजी खसरा नम्बर 131, 132, 133, 160, 161, 162, 163 रकबा क्रमशः 0.43, 0.02, 0.35, 1.03, 0.44, 0.74, 0.51 कुल किता सात कुल रकबा 3.52 हैक्टर ग्राम रामनगर तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7, व केसरबाई बेवा किशना, रामनाथ पुत्री किशना के नाम विलोपित किया जावे व वादी कमलेश दत्तक पुत्र किशना दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है)

खर्चा इन

निज मुबलिग बाबत

मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6-10-2017 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

2. अम्रतलाल पुत्र किशना निवासी रामनगर हाल निवासी मोतीनगर
3. प्रेमचन्द पुत्र श्री किशना निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़
4. सन्तराज पुत्र श्री किशना निवासी रामनगर — " — " —
5. शान्ति पुत्री श्री किशना पत्नी लड्डू निवासी दुगोदा कालोनी स.मा.
6. सुशीला पुत्री श्री किशना पत्नी सीताराम निवासी मेहन्दपुरा स.मा.
7. द्रोपदी पुत्री श्री किशना पत्नी कन्हैयाराम निवासी खवासीजी स.मा.
8. प्रभुलाल पुत्र मोती निवासी रामनगर तहसील इन्द्रगढ़
9. हरिनारायण पुत्र मोती निवासी रामनगर हाल निवासी मोतीनगर इन्द्रगढ़.
10. भोल्या वेवा मोती निवासी रामनगर
11. माधो पुत्र ~~…~~नारायण जाति चमार निवासी बसगाव (लाखेरी) हाल निवासी रामनगर त. इन्द्रगढ़
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

प्रार्थीगण.

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी, जिला बून्दी

Scanned with CamScanner